भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2571
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

2571. श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्रीमती संध्या रायः
श्री गोडम नागेशः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के अंतर्गत देश में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित लाभान्वित होने वाले वर्तमान दूध उत्पादकों की राज्यवार संख्या कितनी है और अब तक दूध खरीद क्षमता में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) एनपीडीडी के अंतर्गत मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित अब तक स्थापित ग्राम स्तरीय दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं और बल्क मिल्क कूलरों (बीएमसी) की संख्या और उनकी संयुक्त भंडारण क्षमता राज्य-वार कितनी है;

(ग) फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड एनालाइजर (एफटीआईआर) जैसी आधुनिक मिलावट पहचान प्रणालियों के साथ अब तक उन्नत किए गए डेयरी संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) संशोधित एनपीडीडी के अंतर्गत 10,000 नई दूध सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस पहल के माध्यम से अब तक सृजित अतिरिक्त रोजगार की संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित अब तक शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) मध्य प्रदेश में भिंड जिले सहित पशुपालकों और पशुओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा इन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) वर्ष 2014-15 से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र योजना- "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित/सुदृढ़ीकृत अवसंरचना से योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य सहकारी दुग्ध परिसंघों/संघों/उत्पादक कंपनियों से जुड़े सभी दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलता है ।

एनपीडीडी योजना के अंतर्गत, लगभग 31,908 डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) का गठन/पुनरुद्धार किया गया है, जिससे 17.63 लाख अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों का नामांकन हुआ है और प्रतिदिन 120.68 लाख किलोग्राम दूध की खरीद में वृद्धि हुई है। संगठित डीसीएस की संख्या, नामांकित दुग्ध उत्पादकों और दूध खरीद में वृद्धि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ख) और (ग) एनपीडीडी योजना के अंतर्गत, लगभग 61,677 ग्राम स्तरीय दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और 149.35 लाख लीटर की शीतलन क्षमता वाले 5,995 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त, 279 डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं को एफटीआईआर तकनीक आधारित दुध एनालाइजर सहित दूध में मिलावट का पता लगाने वाली प्रणालियों से उन्नत किया गया है। स्थापित/उन्नत ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं, बल्क मिल्क कूलरों और डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) संशोधित एनपीडीडी योजना के अंतर्गत, डीएएचडी ने वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में 21,902 नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन हेतु राज्यवार लक्ष्यों को अनुमोदन दिया है। कुल 407.37 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 211.90 करोड़ रुपये और कार्यान्वयन संगठनों का हिस्सा 195.47 करोड़ रुपये शामिल है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अब तक लगभग 1804 डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है , जिससे वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 37,793 नए दुग्ध उत्पादकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) अब तक, देश में मध्य प्रदेश में 406 और आंध्र प्रदेश में 340 सहित कुल 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (एमवीयू) कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, इन एमवीयू के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं से लगभग 96,86,350 पशुपालक और 2,01,49,217 पशु लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में , अब तक 15,307 पशुपालक और 19,472 पशु एमवीयू की द्वार पर डिलीवरी से लाभान्वित हुए हैं। कार्यरत एमवीयू, लाभान्वित पशुपालकों की संख्या और एमवीयू के माध्यम से उपचारित पशुओं का राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

एनपीडीडी योजना के अंतर्गत संगठित डीसीएस की संख्या, नामांकित दूध उत्पादकों और दूध खरीद में वृद्धि का राज्यवार विवरण (दिनांक 31.07.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य	संगठित / पुनर्जीवित डीसीएस (संख्या)	अतिरिक्त किसान सदस्य नामांकित ('000 संख्या में)	अतिरिक्त औसत दैनिक दूध खरीद (हजार किलोग्राम प्रति दिन)
1	आंध्र प्रदेश	3483	237432	371.13
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00
3	असम	0	0	0.00
4	बिहार	8285	509496	796.61
5	छत्तीसगढ	0	768	16.20
6	गोवा	0	0	0.00
7	गुजरात	935	33097	4215.20
8	हरियाणा	0	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	359	4939	106.00
10	जम्मू और कश्मीर	1775	79150	245.00
11	झारखंड	256	15782	119.82
12	कर्नाटक	2033	274937	1561.10
13	केरल	0	63188	249.90
14	लद्दाख	10	700	2.90
15	मध्य प्रदेश	0	0	57.42
16	महाराष्ट्र	369	35362	192.90
17	मणिपुर	50	1043	4.30
18	मेघालय	51	1185	0.00
19	मिजोरम	3	60	0.80
20	नागालैंड	54	1342	4.10
21	ओडिशा	973	57416	161.70
22	पुदुचेरी	7	600	33.00
23	पंजाब	2144	28935	1513.92
24	राजस्थान	4245	173896	836.14
25	सिक्किम	287	6938	50.40
26	तमिलनाडु	1278	87072	818.80
27	तेलंगाना	640	15895	225.91
28	त्रिपुरा	6	530	0.00
29	उत्तर प्रदेश	4179	77152	398.18
30	उत्तराखंड	416	52700	82.90
31	पश्चिम बंगाल	70	3532	3.70
	कुल योग	**31908**	**1763147**	**12068.03**

अनुबंध- II

एनपीडीडी योजना के अंतर्गत स्थापित/उन्नत ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं, बल्क मिल्क कूलरों और डेयरी संयंत्र प्रयोगशालाओं का राज्यवार विवरण (दिनांक 31.07.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य	ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (संख्या)	बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी)		डेयरी संयंत्र स्तरीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (संख्या)
			संख्या	क्षमता (किलोलीटर)	
1	आंध्र प्रदेश	3848	53	320.00	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0
3	असम	0	0	0.00	1
4	बिहार	7413	72	199.00	12
5	छत्तीसगढ	95	29	58.00	6
6	गोवा	0	0	0.00	1
7	गुजरात	5533	2088	7305.00	5
8	हरियाणा	513	59	48.00	5
9	हिमाचल प्रदेश	335	47	88.00	13
10	जम्मू और कश्मीर	2232	58	275.00	3
11	झारखंड	339	13	26.00	5
12	कर्नाटक	5621	686	2080.00	50
13	केरल	2160	108	392.50	11
14	लद्दाख	0	0	0.00	0
15	मध्य प्रदेश	1135	201	181.00	16
16	महाराष्ट्र	639	95	199.50	23
17	मणिपुर	61	38	8.40	1
18	मेघालय	107	100	41.76	4
19	मिजोरम	46	9	4.50	4
20	नागालैंड	0	28	14.50	3
21	ओडिशा	1023	38	109.00	14
22	पुदुचेरी	95	15	14.50	1
23	पंजाब	6014	497	687.50	19
24	राजस्थान	7355	980	1171.50	17
25	सिक्किम	588	225	73.10	3
26	तमिलनाडु	8967	485	1531.00	24
27	तेलंगाना	2128	22	19.50	3
28	त्रिपुरा	158	11	11.50	1
29	उत्तर प्रदेश	3897	32	70.00	13
30	उत्तराखंड	1275	2	4.00	11
31	पश्चिम बंगाल	100	4	2.00	3
	कुल योग	**61677**	**5995**	**14934.76**	**279**

अनुबंध- III

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू), पशुपालकों और लाभान्वित पशुओं की संख्या का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिचालन में एमवीयू की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या (कुल संचयी)	उपचारित पशुओं की संख्या (कुल संचयी)
1	आंध्र प्रदेश	340	2049550	2211886
2	अरुणाचल प्रदेश	25	43318	51326
3	असम	159	261511	627616
4	बिहार	307	233072	583058
5	छत्तीसगढ	163	609605	2847011
6	दिल्ली	3	187	201
7	गोवा	2	602	804
8	गुजरात	127	450369	699480
9	हरियाणा	70	47903	204591
10	हिमाचल प्रदेश	44	17549	18047
11	जम्मू और कश्मीर	50	26737	48103
12	झारखंड	236	66525	101907
13	कर्नाटक	275	386714	571415
14	केरल	29	22556	25034
15	लद्दाख	9	1649	1449
16	मध्य प्रदेश	406	855434	1008773
17	महाराष्ट्र	80	101080	206554
18	मणिपुर	33	9127	9067
19	मेघालय	17	308	3011
20	मिजोरम	26	35765	55280
21	नागालैंड	16	18347	47754
22	पुदुचेरी	4	2084	7609
23	राजस्थान	536	905948	3598443
24	सिक्किम	6	3546	5580
25	तमिलनाडु	245	342676	1092710
26	त्रिपुरा	13	5678	39383
27	उत्तर प्रदेश	520	3040776	5707893
28	उत्तराखंड	60	142245	287102
29	पश्चिम बंगाल	218	5489	88130
	कुल	**4019**	**9686350**	**20149217**